प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवगछिया
Title Appeal – 128/2016

27.06.2023 उभय पक्षों की ओर से हाजिरी दाखिल की गई है।

अपीलकर्ता की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 28.03.2023, U/o – 22 Rule 4 C. P. C. को प्रचालित करते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि विपक्षी संख्या – 2 मो0 इजरायल की मृत्यु तीन वर्ष पूर्व हो गई है एवं अपने पीछे वह एक पुत्र मो0 नईमुद्दीन एवं तीन पुत्रियां ममुनियां खातुन, रंजो खातुन एवं मरयम खातुन को छोड़ गए हैं। इसकी जानकारी अपीलकर्ता के अधिवक्ता को दिनांक 06.03.2023 को हुई। मृत विपक्षी इस अपील में विपक्षी सं0 5 है। प्रस्तुत प्रतिस्थापना आवेदन अपीलकर्ता की निरक्षरता के कारण समय पर दाखिल नहीं किया जा सका। विपक्षी ने भी इसकी सूचना नहीं दी। विलंब को शमित करने हेतु अपीलकर्ता ने U/o – 22 Rule 9 C. P. C. एवं U/s – 5 of limitation act दाखिल किया है। अतः उपरोक्त आवेदन को स्वीकृत करते हुए प्रतिस्थापना की अनुमति मांगी गई।

विपक्षी की ओर से प्रतिउत्तर दिनांक 02.05.2023 को प्रचालित करते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथित किया गया कि अपीलकर्ता का आवेदन दिनांक 28.03.2023 तथ्यों या विधि के अधीन पोषणीय नहीं है। आवेदन लगभग चार वर्ष से विलंबित है, जिससे मृत विपक्षी के विरूद्ध अपील अवेट कर चुका है। अतः आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों को सुनने के उपरांत अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी संख्या – 2 मो0 इजरायल की मृत्यु हो गई है और उसकी प्रतिस्थापना हेतु आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। परंतु आवेदन अपीलकर्ता के शपथ पत्र एवं अपीलकर्ता ने U/o – 22 Rule 9 C. P. C. एवं U/s – 5 of limitation act से समर्थित है। अतः न्यायालय हित में अपीलकर्ता का आवेदन U/o – 22 Rule 9 C. P. C. को विपक्षी को देय रूपये 500/– खर्चा पर **स्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार वादी का प्रतिस्थापना आवेदन भी स्वीकृत किया जाता है।

अपीलकर्ता निर्धारित समयावधि में प्रतिस्थापना संपन्न करें एवं प्रतिस्थापित विपक्षियों की उपस्थिति हेतु सम्यक कार्रवाई करें। वाद दिनांक 18.07.2023 को प्रस्तुत करें।

ह0/–
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
नवगछिया, भागलपुर।